"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2016—कार्तिक 6, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गनी मोहम्मद खान पिता श्री हिदायत नूर खान, निवासी-जीवन बीमा मार्ग, खालसा स्कूल रोड, कचहरी चौक, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गन्नी मोहम्मद खान पिता हारून नासिद खान दर्ज हो गया है जो गलत है इसके अतिरिक्त मेरा जन्म दिनांक 14-8-1952 दर्ज हो गया है जो गलत है. मेरा सही नाम गनी मोहम्मद खान पिता श्री हिदायत नूर खान एवं मेरा जन्मतिथि 5-6-1953 है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम गनी मोहम्मद खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गनी मोहम्मद खान पिता श्री हिदायत नूर खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
गन्नी मोहम्मद खान पिता श्री हारून नासिद खान जन्मतिथि- 14-8-1952 निवासी-जीवन बीमा मार्ग, खालसा स्कूल रोड, कचहरी चौक, रायपुर (छ. ग.)	गनी मोहम्मद खान पिता श्री हिदायत नूर खान जन्मतिथि- 05-06-1953 निवासी-जीवन बीमा मार्ग, खालसा स्कूल रोड, कचहरी चौक, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. राधा पिता श्री दिलीप कुमार, उम्र 28 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-मरोदा टंकी, वार्ड नं. 44, पोस्ट न्यू सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शाला रिकार्ड शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम कु. राधा बाई लिखा हुआ है एवं उच्च शिक्षा के सभी प्रमाण पत्र में मेरा नाम कु. राधा अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कु. राधा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कुमारी राधा पिता श्री दिलीप कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राधा बाई पिता श्री दिलीप कुमार निवासी-मरोदा टैंक, वार्ड नं. 44, पोस्ट न्यू सिविक सेन्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कुमारी राधा पिता श्री दिलीप कुमार निवासी-मरोदा टैंक, वार्ड नं. 44, पोस्ट न्यू सिविक सेन्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशांक शर्मा (Shashank Sharma) पिता स्व. शशिभूषण शर्मा निवासी-मकान नं. SE-296, विद्युत मंडल कालोनी, कोरबा-पूर्व, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा घरेलू नाम शशांक कुमार शर्मा है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शशांक शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शशांक शर्मा पिता स्व. शशिभूषण शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शशांक कुमार शर्मा पिता स्व. शशिभूषण शर्मा निवासी-मकान नं. SE-296, विद्युत मंडल कालोनी, कोरबा-पूर्व, जिला कोरबा (छ. ग.) पिन 495 677	शशांक शर्मा पिता स्व. शशिभूषण शर्मा निवासी-मकान नं. SE-296, विद्युत मंडल कालोनी, कोरबा-पूर्व, जिला कोरबा (छ. ग.) पिन 495 677

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आदित्य वर्मा पिता श्री कमलेश्वर वर्मा, निवासी-जोगीदल्ली, पोस्ट भैसातरा तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में जैसे मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची आदि में मेरा नाम आदित्य वर्मा दर्ज है एवं मेरे राजस्व रिकार्ड के दस्तावेजों जैसे ऋण पुस्तिका में मेरा नाम टीकम दर्ज है. जो मेरा घरेलू नाम है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम आदित्य वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे आदित्य वर्मा पिता श्री कमलेश्वर वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
टीकम वर्मा आत्मज श्री कमलेश्वर वर्मा निवासी-जोगीदल्ली, पो. भैसातरा तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)	आदित्य वर्मा आत्मज श्री कमलेश्वर वर्मा निवासी-जोगीदल्ली, पो. भैसातरा तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

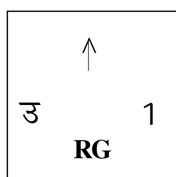
अन्य सूचनाएं

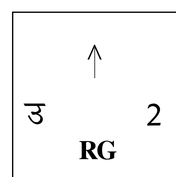
वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

आदेश क्रमांक/तक. अधि. /121/2016.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न अंकित फेलिंग हेमर परिक्षेत्र सारंगढ़ अन्तर्गत श्री लव कुमार सोनी, वनरक्षक परिसर रक्षक सोढ़िका को प्रदाय किया गया था, जो गुम हो गया है.

इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सारंगढ़ तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.) में दर्ज की जा चुकी है. वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है एवं उसकी कीमत 500 रु. (पांच सौ रुपये मात्र) श्री लव कुमार सोनी, वनरक्षक परिसर रक्षक सोढ़िका के वेतन से अथवा शासकीय चालान द्वारा वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है, तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिए सचेत किया जाता है.





यदि उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, तथा उक्त हेमर किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत नियमानुसार अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा.

विजया कुर्रे,
वनमण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.